प्रेस विज्ञप्ति

19-12-2025

ईडी, कोलकाता ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फियूविन के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 08.12.2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस पूरक अभियोजन शिकायत के माध्यम से, ईडी ने उत्कर्ष आर्य और सुजीत कुमार झा को अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने, रखने और प्राप्त करने में उनकी संलिप्तता के लिए और सुजीत कुमार झा के स्वामित्व वाली बारह कंपनियों को फियूविन गेमिंग ऐप ऑपरेटरों द्वारा उत्पन्न पीओसी को छुपाने और इसे वैध व्यावसायिक आय के रूप में पेश करने के लिए कॉर्पोरेट संरचना की तरह इस्तेमाल करने के लिए आरोपी बनाया है।

अवैध गेमिंग ऐप, फियूविन 2020 में कोविड अवधि के दौरान अस्तित्व में आया और जून, 2023 तक संचालित हुआ। इस गेमिंग ऐप को तेजी से और आसानी से पैसा कमाने के लिए एक ऐप के रूप में पेश किया गया था और इसे यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल माध्यमों से विपणन किया गया था। ऐप में ही माइन्सवीपर, कलर प्रेडिक्शन जैसे सरल गेम शामिल थे, जो पूरी तरह से भाग्य पर आधारित थे और इसमें खिलाड़ी के कौशल की कोई भूमिका नहीं थी।

ईडी ने काशीपुर पुलिस स्टेशन, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अज्ञात जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ऑनलाइन गेमिंग ऐप "फ्यूविन "के माध्यम से धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद और समर्थन से ऐप का संचालन कर रहे थे। आरोपी व्यक्ति और उनकी संबद्ध कंपनियां चीनी नागरिकों के साथ अपराध जनित आय (पीओसी) का लेनदेन करती थीं। ये व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से चीनी नागरिकों को पैसे प्राप्त और भेजते थे। फ्यूविन ऐप के माध्यम से भोले-भाले ऑनलाइन गेमर्स से जुटाई गई धनराशि विभिन्न व्यक्तियों)जिन्हें" रिचार्ज पर्सन "कहा जाता है (के बैंक खातों में जमा की जाती थी, जिन्होंने कुछ कमीशन के बदले ऐप मालिकों को अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जांच से पता चला कि फ्यूविन ऐप धोखाधड़ी से लगभग 400 करोड़ रुपये की कमाई की गई और चीनी नागरिकों के नाम पर बाइनेंस वॉलेट में जमा किए गए। चीनी नागरिकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से टेलीग्राम समूहों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों के साथ संवाद किया और उन्हें निर्देश दिए।

इससे पहले जांच के दौरान इस मामले में 19.09.2024 की तारीख का एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें 25.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। इसके अलावा, इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपी जोसेफ स्टालिन, चेतन प्रकाश और आलोक कुमार साहू को धन शोधन के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 07.10.2024 को एमएल केस नंबर 07/2024 वाली एक और अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

आगे की जांच जारी है।